

न्यायालय:- प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश गोहद, जिला भिण्ड

जमानत आवेदन क्रमांक 08/18

भारत सिंह पुत्र साहिब सिंह गुर्जर आयु 45 वर्ष
निवासी ग्राम डांग तहसील गोहद जिला भिण्ड
मध्यप्रदेश

—आवेदक

विरुद्ध

पुलिस थाना गोहद

—अनावेदक

10-01-2018

आवेदक/आरोपी भारत सिंह की ओर से श्री आर0सी0 यादव अधिवक्ता।

राज्य की ओर से श्री दीवान सिंह गुर्जर अपर लोक अभियोजक।

पुलिस थाना गोहद से अपराध क्रमांक 209/17 अंतर्गत धारा 366, 376—डी, 323, 506, 34 भा0दं0सं0 की केस डायरी मय कैफियत प्राप्त।

प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त भारत सिंह की ओर से अधिवक्ता श्री आर0सी0 यादव द्वारा प्रथम नियमित जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया है कि उक्त प्रथम जमानत आवेदन के अलावा अन्य कोई आवेदन किसी भी समकक्ष न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया है और न ही निराकृत हुआ है।

आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर0सी0 यादव द्वारा प्रथम जमानत आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 439 दं0प्र0सं0 के संबंध में निवेदन किया कि आवेदक होमगार्ड में सैनिक है। आवेदक से ग्राम सिरसौदा में लोग रंजिश रखते हैं इसलिये वह गांव सिरसौदा छोड़कर ग्राम डांग में अपने परिवार के साथ निवास करता है। आवेदक का किसी भी अपराध से कोई संबंध नहीं है। आवेदक का नाम रिपोर्ट में नहीं है, लेकिन गांव के लोगों ने रंजिशन बाद में बढ़वा दिया है। आवेदक का भाई राजवीर से भी कोई संबंध नहीं है। आवेदक दिनांक 24.12.17 से न्यायिक निरोध में है। आवेदक ग्राम डांग थाना गोहद चौराहा का स्थाई निवासी है। उसके कहीं भागने या अभियोजन साक्ष्य प्रभावित करने की कोई संभावना नहीं है। कथित अपराध मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास से दण्डनीय नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा। यदि आवेदक न्यायिक निरोध में रखा गया तो उसके परिवार के भूखों मरने की संभावना पैदा हो जावेगी। आवेदक अपने परिवार का एक मात्र कमाने वाला सदस्य है। आवेदक अभियोजन साक्ष्य को किसी

भी तरह से प्रभावित नहीं करेगा और न्यायालय में प्रत्येक पेशी पर उपस्थित रहेगा। सहअभियुक्त कुलदीप बाल न्यायालय भिण्ड द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है। अतः इन्हीं सब आधारों पर उसे जमानत पर छोड़े जाने का निवेदन किया है।

राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने अपराध को गंभीर स्वरूप का होना बताते हुये जमानत आवेदन पत्र का विरोध कर उसे निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

उपरोक्तानुसार उभयपक्ष के निवेदनों पर विचार करते हुये संपूर्ण केस डायरी का परिशीलन किया गया, जिससे दर्शित है कि अभियोजन के अनुसार फरियादिया आशा बघेल ग्राम सिरसौदा से गोहद बाजार में चप्पल पहनने के लिये जा रही थी जैसे ही वह गांव से थोड़ी दूर निकल पाई थी उसी समय उसके मामा के गांव सिरसोद के कुलदीप सिंह गुर्जर व हरगोविंद सिंह बघेल मोटरसाईकिल से आये जिन्हें वह पहले से जानती है बोले कहा जा रही है तब उसने कहा उसकी चप्पल टूट गई है इसलिये वह गोहद में नई चप्पल लेने जा रही है उन लोगों ने उससे कहा कि उसकी मोटरसाईकिल पर बैठ जाओ और तुम्हें गोहद छोड़ देंगे, तब वह उनकी मोटरसाईकिल पर बैठ गई और फिर दोनों उसे कहीं अज्ञात स्थान पर ले गये जहां कुलदीप गुर्जर व हरगोविंद बघेल ने बारी-बारी से उसके साथ बलात्कार किया एवं कुलदीप गुर्जर ने उसकी मारपीट की जिससे उसके दाहिने गाल व शरीर में जगह जगह चोटें आईं तथा कुलदीप व हरगोविंद ने कहा कि रिपोर्ट की तो जान से खत्म कर देंगे। तीन दिन तक उसे किसी अज्ञात स्थान पर रखा व दिनांक 21.09.17 को कुलदीप के मोबाईल पर किसी का कई बार फोन आया तब उसे दिनांक 22.09.17 को कुलदीप व हरगोविंद बंधा के पास वाले पेट्रोल पंप के पास लेकर आये और छोड़कर चले गये।

उक्त घटना के संबंध में फरियादी/अभियोक्त्री द्वारा थाना गोहद में दिनांक 28.09.17 को मौखिक रिपोर्ट किये जाने पर अभियुक्त कुलदीप व हरगोविंद के विरुद्ध धारा 366, 376-डी, 323, 506, 34 भा0दं0सं0 के अंतर्गत अपराध क्रमांक 209/17 पर अपराध पंजीबद्ध किया जाकर, विवेचना के अनुक्रम में संबंधित मजिस्ट्रेट के समक्ष धारा 164 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत दिये गये कथनों में स्वयं अभियोक्त्री द्वारा स्पष्ट रूप से कथन किये हैं कि अभियुक्तगण कुलदीप व हरगोविंद उसे अपनी मोटरसाईकिल पर बिठाकर कस्बा गोहद के पास ले आये थे और वहाँ पर पहले से अभियुक्त कुलदीप के ताउ भारत सिंह तथा मामा चार पहिया वाहन को लेकर खड़े थे और उन्होंने जबरदस्ती उसे उक्त वाहन में बैठा लिया था।

इस प्रकार अभियुक्त/आवेदक भारत सिंह द्वारा उक्त गंभीर प्रकृति के अपराध में सक्रिय सहयोग किया जाना स्वयं अभियाक्त्री ने बताया गया है। यद्यपि अपने तर्कों में विद्वान अधिवक्ता ने मामले में मुख्य अभियुक्त

कुलदीप को नियमित जमानत पर आजाद होना बताते हुये समानता के आधार पर जमानत का लाभ आवेदक/अभियुक्त भारत सिंह को दिये जाने का निवेदन किया है, लेकिन केस डायरी के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि कुलदीप चतुर्वेदी के विधि विरुद्ध किशोर होने के आधार पर उसे किशोर न्याय बोर्ड द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है जो कि पृथक विषय होने से वर्तमान आवेदक/अभियुक्त समानता के आधार पर जमानत का लाभ प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हो जाता है।

अतः उपरोक्तानुसार अपराध की गंभीरता एवं विवेचना के अनुक्रम में संकलित साक्ष्य सहित मामले के संपूर्ण तथ्य व परिस्थितियों एवं उक्त गंभीर अपराध में आवेदक/अभियुक्त की बताई गई संलिप्तता को दृष्टिगत रखते हुये आवेदक भारत सिंह को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। फलतः उसकी ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 439 दं०प्र०सं० स्वीकार योग्य न होने से निरस्त किये जाता है।

आदेश की प्रति सहित संबंधित थाने को केस डायरी विधिवत वापस की जावे।

प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(एस०के०गुप्ता)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश
गोहद, जिला भिण्ड